भारत सरकार,
कार्मिक**, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,**
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक स° 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Department of Personnel and Training
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

(दिनांक 17-06 -2020 को आयोग की वेबसाइट https://ssc.nic.in पर अपलोड किया जाए)

विज्ञप्ति

दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप-निरीक्षक परीक्षा, 2020

ऑनलाइन आवेदनों को जमा करने की तारीख: 17-06-2020 से 16-07-2020
आवेदनों की प्रापति की अंतिम तारीख और समय : 16-07-2020 (23:30)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीखऔर समय: 18-07-2020 (23:30)
ऑफ़लाइन चालान तैयार करने के लिए अंतिम तारीख और समय: 20-07-2020 (23:30)
चालान के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तारीख (बैंक के कार्य समय के दौरान): 22-07-2020
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (पेपर- I) की तारीखें: 29 -09-2020 से 05 -10-2020
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (पेपर- II) की तिथि: 01-03-2021

Sensitivity: Internal & Restricted

"**सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.**"

F. No. 3/2/2020 नी. व यो.-II : कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (के.स.पु.ब.) में उप-निरीक्षकों (उ.नि.) की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों, हेड कांस्टेबलों और सहायक उप-निरीक्षकों में से विभागीय अभ्यर्थी जिनकी पैरा 5.1 पर दी गई निर्धारित तारीख को न्यूनतम सेवा तीन वर्ष हो और अधिकतम आयु 30 वर्ष (अपिव के लिए 33 वर्ष और अजा/अजजा के लिए 35 वर्ष) से अधिक न हो, वे भी उप-निरीक्षक (कार्यकारी)-पुरूष की खुली और विभागीय रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है:

1.1 **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी):** इस पद का वेतनमान-6 (35400-1,12,400/- रूपए) का है और यह समूह 'ख' (अराजपत्रित), अननुसचिवीय के रूप में वर्गीकृत है।

1.2 **दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (कार्यकारी)**- (पुरुष/महिला): इस पद का वेतनमान -6 (35400-1,12,400/- रूपए) का है और यह दिल्ली पुलिस द्वारा समूह 'ग' (अराजपत्रित) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. रिक्तियां :

2.1 अस्थायी रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

(क) दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (कार्यकारी) - पुरुष

रिक्ति का प्रकार	अना.	आ. पि.व.	अ. पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
खुली	32	09	06	11	15	73
विभागीय अभ्यर्थी	04	01	02	01	01	09
पूर्व सैनिक	05	-	02	01	01	09

Sensitivity: Internal & Restricted

कुल रिक्तियां	41	10	10	13	17	91

(b) दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (कार्यकारी) - महिला

रिक्ति का प्रकार	अना.	आ. पि.व.	अ. पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
खुली	35	08	17	12	06	78

(ग) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (के.स.पु.ब.) में उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी)

बल	श्रेणी	अना	आ. पि. व.	अ. पि. व.	अ. जा.	अ. ज. जा.	कुल		भू. पू. सै.
के.रि.पु.ब	पु.	421	104	281	156	78	1040	1072	107
	म.	13	03	09	05	02	32		
सी.सु.ब.	पु.	94	23	63	35	17	232	244	24
	म.	05	01	03	02	01	12		
भा.ति.सी.पु	पु.	22	03	07	04	00	36	43	04
	म.	04	01	01	01	00	07		
के.औ.सु.ब.	पु.	08	01	05	03	01	18	20	02
	म.	02	00	00	00	00	02		
स.सी.ब.	पु.	08	01	04	03	00	16	16	02
	म.	00	00	00	00	00	00		
		577	137	373	209	99	1395	1395	139
	पु.	553	132	360	201	96	1342		
	म.	24	05	13	08	03	53		

Sensitivity: Internal & Restricted

2.2 के.स.पु.ब. में उपनिरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2.3 रिक्तियां अस्थायी हैं। रिक्तियों की संख्या में किसी भी परिवर्तन के बारे में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. **पदों का आरक्षण और उपयुक्तता:**

3.1 अनुसूचित जाति (अ.जा) / अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) / अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (आ.पि.व.) आदि के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा यथा निर्धारित एवं संप्रेषित है।

3.2 आयोग विभिन्न पदों के लिए संबंधित उपयोगकर्ता विभागों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी भी उपयोगकर्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। आरक्षण नीति का क्रियान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना उपयोगकर्ता विभागों के कार्यक्षेत्र में आता है।

3.3 दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण उपलब्ध है जिसका ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

3.3.1 भूतपूर्व सैनिकों के कोटे में से, 50% ऐसा कोटा भूतपूर्व सैनिकों की निम्न श्रेणियों के लिए आरक्षित होगा:

3.3.1.1 विशेष बल/राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (विशेष कार्रवाई समूह), में सेवा की गई हो, या

3.3.1.2 कमांडो कोर्स में "अर्हक अनुदेशक" ग्रेडिंग प्राप्त की हो, या

Sensitivity: Internal & Restricted

3.3.1.3 नौसेना/वायु सेना के अधिकारी जिन्होंने विशेषीकृत कमांडो प्रकार की यूनिटों में काम किया हो ।

3.3.2 यदि बिंदु 3.3.1.1, 3.3.1.2 और 3.3.1.3 श्रेणियों में भूतपूर्व सैनिकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो न भरी गई रिक्तियां अन्य उपलब्ध पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों में से भरी जाएंगी।

4. **राष्ट्रीयता / नागरिकता :** अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से होना चाहिए :

4.1 भारत का नागरिक, या

4.2 नेपाल की प्रजा, या

4.3 भूटान की प्रजा, या

4.4 बशर्ते कि उपरोक्त 4.2 और 4.3 श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

4.5 ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा ।

5. **आयु सीमा :**

5.1 अभ्यर्थियों की आयु सीमा दिनांक 01-01-2021 को **20 से 25 वर्ष** तक होनी चाहिए अर्थात (अभ्यर्थी का जन्म 02-01-1996 से पहले और 01-01-2001 के बाद न हुआ हो) **।**

5.2 ऊपर दिए गए पैरा 5.1 के तहत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में अनुमन्य छूट और आयु छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड निम्नानुसार होंगे:

कोड सं.	श्रेणी	**ऊपरी आयु सीमा में परे आयु में अनुमत्य छूट**
01	अ.जा./अ.ज.जा.	5 वर्ष
02	अ.पि.व.	3 वर्ष

Sensitivity: Internal & Restricted

06	भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.)	अंतिम तारीख पर वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा घटाने के बाद 3 वर्ष।
दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए (श्रेणी कोड -12 और 13)		
12	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अ.जा./अ.ज.जा.)	40 वर्ष की आयु तक
केवल दिल्ली पुलिस की रिक्तियों के लिए दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (श्रेणी कोड -17, 18 और 19)		
17	विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	30 वर्ष की आयु तक
18	विभागीय अभ्यर्थी (अपिव) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	33 वर्ष की आयु तक
19	विभागीय अभ्यर्थी (अजा/अजजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो	35 वर्ष की आयु तक

Sensitivity: Internal & Restricted

5.3 आयोग द्वारा आयु के निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई वही जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो मैट्रिकमाध्यमिक / परीक्षा प्रमाण पत्रमें दर्ज है और बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा।

.54 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं । तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था (आर) में यथा-उल्लिखितानुसार वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा करता करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।

.55 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

.56 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि (अर्थात 16-07-2020) से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्रापति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए ।

Sensitivity: Internal & Restricted

5.7 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे समूह 'ग' पदों में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पात्र समझा जाएगा। इसलिए, जिन गैर स्नातक भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, वे किसी भी पद के लिए पात्र नहीं हैं।

5.8 **<u>स्पष्टीकरणः</u>** भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

5.8.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(i) जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवा मुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ हो या निर्मुक्त हुआ हो या छोड़ा गया हो; या

(ii) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या

(iii) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

या

5.8.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भी शामिल हैं;

Sensitivity: Internal & Restricted

अथवा

5.8.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

5.8.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल,1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

5.8.5 प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता;

अथवा

5.8.6भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है ।

5.9 **भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र व पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट और भूतपूर्व सैनिक को दिया जाने वाला आरक्षण अनुमत्य नहीं है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।**

6. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुप:

6.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सूचीबद्ध परन्तु केंद्रीय सूची में शामिल न किए गए अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा जारी अ.पि.व.

Sensitivity: Internal & Restricted

प्रमाण-पत्र केवल आरक्षण और आयु में छूट के प्रयोजनार्थ दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए ही स्वीकार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस में केवल उप निरीक्षक के पद के लिए अ.पि.व. और अन्य सभी पदों के लिए अनारक्षित के रूप में माना जाएगा।

6.2 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इन प्रमाणपत्रों के मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्रधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा/अजजा/अपिव/आपिव/भूपूसै श्रेणी के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/आवेदनपत्रों को सामान्य (अना.) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारुप संलग्न हैं। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

6.3 अन्य पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चहिए कि उसके पास जाति या समुदाया का प्रमाणपत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है/ इस प्रयोजन के लिए। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 16.07.2020 होगी।

6.4 अभ्यर्थी उपर्युकत के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/ आपिव/ भूपूसै/ विभागीय अभ्यर्थी (दिल्ली पुलिस) आदि का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

.65 अजा/अजजा/अपिव/आपिव श्रेणी आदि से संबंधित होने का दावा करने या कोई लाभ, जैसेशुल्क में छूट -, आरक्षण, आयु में छूट

Sensitivity: Internal & Restricted

आदि लेने हेतु निर्णायक तिथि, जहां अन्यथा उसका उल्लेख नहीं किया गया हो, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 16.07.2020 होगी।

7. शैक्षिक योग्यता <u>(दिनांक 01-01-2021 को):</u>

7.1 **सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष है** ।

7.2 भारत के राजपत्र में प्रकशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की आधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी आधिनियम द्वारा स्थपित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी आधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वत: ही मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्री को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता नहीं दी गई है जब अभ्यर्थियों द्वारा वह योग्यता हासिल की गई हो, तो शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य के लिए उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.3 इसके अतिरिक्त भारत के राजपत्र में दिनांक 23.06.2017-को प्रकाशित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 के भाग-।।। (8)(v) के अनुसार मुक्त एवं दूरस्था अधिगम माध्यम से अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकत्सा, नर्सिंग, औषध विज्ञान, वास्तुकला और भौतिक चिकित्सा के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं हैं। तथापि, बी.टेक डिग्री / अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, जो इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को प्रदान किया गया था, जहाँ कहीं भी लागू हो, उसे मान्य माना जाएगा।

Sensitivity: Internal & Restricted

7.4 जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, परन्तु शैक्षिक योग्यता हासिल कर लेंगे और दिनांक 01-01-2021 की स्थिति के अनुसार इसके समर्थन में बोर्ड / विश्वविद्यालय से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे, वे भी पात्र होंगे।

7.5 सभी अभ्यर्थी जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शा.क्ष.प. /शा.मा.प. और चिकित्सा परीक्षा में आयोग द्वारा योग्य घोषित किए गए हैं, उन्हें दिनांक 01-01-2021 को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्र, जैसे- अंक तालिका/ प्रोविजनल डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल होने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि शैक्षिक अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा । **यह दोहराया जाता है कि बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तारीख तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण कट-ऑफ तारीख तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।**

7.6 समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारियों का प्रासंगिक समकक्षता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। हालांकि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के बारे में अंतिम निर्णय संबंधित प्रयोक्ता विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।

7.7 **केवल दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए:** शारीरिक क्षमता परीक्षा और माप परीक्षा के लिए निर्धारित तारीख पर पुरुष अभ्यर्थियों के पास एलएमवी (मोटरसाइकिल और कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तथापि, जिन

Sensitivity: Internal & Restricted

अभ्यर्थियों के पास एलएमवी (मोटरसाइकिल और कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वे के.स.पु.ब. के अन्य सभी पदों के लिए पात्र हैं।

8. आवेदन कैसे करें :

8.1 आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात https://ssc.nic.in पर जमा करने होंगे । विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुलग्नक- I** और **अनुलग्नक- II** का अवलोकन करें। एक बार के पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा **अनुलग्नक-IA** और **अनुलग्नक- IIA** के रूप में संलग्न हैं ।

8.2 एक बार पंजीकरण प्रक्रिया (अनुलग्नक- I के विवरण के अनुसार) के लिए आपको जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए हाल ही (अर्थात **तीन महीने से अधिक पुरानी न हो**) के रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) को अपलोड करनी होगी । फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए** ।

8.3 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 16-07-2020 (2330) है।

8.4 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और लॉगइन करने करने में विफलता हो सकती है।

8.5 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.6 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा

Sensitivity: Internal & Restricted

है। ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध, जैसे- डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. <u>आवेदन शुल्क</u> :

9.1 देय शुल्क: 100 / - रुपये (मात्र एक सौ रुपए)।

9.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

9.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करके एसबीआई चालान बनवा कर किया जा सकता है ।

9.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान दिनांक-18.07.2020 (2330) तक कर सकते हैं। तथापि वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे 20.07.2020 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने दिनांक 20.07.2020 (2030 बजे) तक चालान बनवा लिया है।

9.5 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे । इस तरह के निरस्तीकरण पर कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा ।

9.6 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति <u>**'अपूर्ण'**</u> दर्शाई जाएगी और यह

Sensitivity: Internal & Restricted

जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी । इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए **"भुगतान की स्थिति"** लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. परीक्षा केंद्र :

10.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदनपत्र में केंद्र (केंद्रों) को इंगित करना होगा जिसमें वह परीक्षा देना चाहता/चाहती है । परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों जिनके अंतर्गत ये परीक्षा केंद्र स्थित हैं, के विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.स.	**परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड**	**कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य/संघ शासित राज्य**	**क्षेत्रीय कार्यालयों के पते/वेबसाइट**
1	**2**	**3**	**4**
1	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), कानपुर (3009), लखनऊ	**मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)** / बिहार और उत्तर प्रदेश	**क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.) ,** कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केन्द्रीय सदन, प्रयागराज - 211001।

Sensitivity: Internal & Restricted

	(3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)।		(http://www.ssc-cr.org)
2	पोर्ट ब्लेयर (4802), रांची (4205), भुवनेश्वर (4604), कोलकाता (4410)।	**पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)** / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	**क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8 वीं मंजिल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700020 (www.sscer.org)
3	बेंगलुरु (9001), बेलगावी (9002), हुबली (9011), कलाबुरगी (गुलबर्गा) (9005), मंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोग्गा (9010, उडुपी (9012), तिरुवनंतपुरम (9211), एर्नाकुलम (9213), कन्नूर (9202), कोल्लम (9210), कोट्टायम (9205),	**कर्नाटक केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)** / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	**क्षेत्रीय निदेशक (केकेआर),** कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560034 (www.ssckr.kar.nic.in)

Sensitivity: Internal & Restricted

	कोझीकोड (9206) त्रिशूर (9212)।		
4	दिल्ली एनसीआर (2201), अजमेर (2401), अलवर (2402), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), कोटा (2407), श्रीगंगानगर (2408), उदयपुर (2409), सीकर (2411) , देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), हरिद्वार (2005), रुड़की (2006)	**उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.)** / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	**क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 (www.sscnr.net.in)
5	ईटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गोलपारा (5104) गुवाहाटी (दिसपुर) (5105) जोरहाट (5107) लखीमपुर (5109), सिलचर (5111), तेजपुर (5112), कोहिमा (5302), शिलांग (5401), इम्फाल (5501),	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो. क्षे.)** / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ।	**क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वो. क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलटोला-बसिस्ता रोड, पीओ असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम -781006 (www.sscner.org.in)

Sensitivity: Internal & Restricted

	चुराचंदपुर (5502), उखरूल (5503), अगरतला (5601), आइजवाल (5701)		
6	हैदराबाद (8002), वारंगल (8003), गुंटूर (8001), कुरनूल (8003), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विशाखापत्तनम (8007), विजयवाड़ा (8008), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), पुदुचेरी (8401)	**दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)** / आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	**क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग, दूसरी मंजिल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैम्पस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 (www.sscsr.gov.in)
7	अहमदाबाद (7001), वडोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत (7007), मुंबई (7204), पुणे (7208), अमरावती (7201) नागपुर (7205), औरंगाबाद	**पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षे.)** / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महा राष्ट्र	**क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.) ,** कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, साउथ विंग, प्रतिष्ठान भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 (www.sscwr.net)

Sensitivity: Internal & Restricted

	(7202), कोल्हापुर (7203), नासिक (7207) पणजी (7801)		
8	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204) दुर्ग-भिलाई (6205)	**मध्य प्रदेश उप क्षेत्र (म.प्र.क्षे.)** छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	**उप निदेशक (म.प्र.क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग, जे -6, अनुपम नगर, रायपुर Chattattisgarh-492,007। (www.sscmpr.org)
9	जम्मू (1004), लेह (1005), श्रीनगर (1007), सांबा (1010), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जालंधर (1402), अमृतसर (1404), मोहाली (1406), चंडीगढ़ (1601)	**पश्चिमोत्तर क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.)** / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब	**क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमो.क्षे.) ,** कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, केन्द्रीय सदन, सेक्टर -9, चंडीगढ़ 160009 (www.sscnwr.org)

10.2 अभ्यर्थी को एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प देना होगा । किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा । अतः अभ्यर्थियों

Sensitivity: Internal & Restricted

को केंन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए ।

10.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केन्द्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा । तथापि आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे । आयोग के पास किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार भी सुरक्षित है ।

11. **<u>परीक्षा की रूप रेखा</u>**:

11.1 परीक्षा में पेपर- I, शारीरिक मानक परीक्षा (शा.मा.प.) / शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.) , पेपर- II और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (वि.चि.प.) शामिल होंगे। परीक्षा के ये सभी चरण अनिवार्य हैं। इन पेपरों/परीक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:

<u>पेपर - I:</u>

परीक्षा की तारीख	भाग	**विषय**	**प्रश्नों की संख्या / अधिकतम अंक**	**समय अवधि**
29-09-2020 से 05-10-2020	I	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति	50/50	2 घंटे
	II	सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी	50/50	
	III	परिमाणात्मक अभिरुचि	50/50	
	IV	अंग्रेजी परिज्ञान	50/50	

<u>पेपर II:</u>

परीक्षा की तारीख	**विषय**	**प्रश्नों की संख्या / अधिकतम अंक**	**समय अवधि**

Sensitivity: Internal & Restricted

01-03-2021	अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान	200/200	2 घंटे

11.2 दोनों पेपर में प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।। पेपर- I के भाग- I, II और III में प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में बनाए जाएंगे। पेपर- I और पेपर- II में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें।

11.3 अभ्यर्थियों द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को आयोग द्वारा दिनांक 07-02-2019 की सूचना सं. 1-1/2018-नी. एवं यो.-I में प्रकाशित सूत्र का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा और इस तरह के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंकों को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा ।

11.4 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के उपरांत उचित समय पर अनंतिम कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी । अभ्यर्थी उत्तरकुंजियों को देखें और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो प्रति प्रश्न 100 रुपए ऑनलाइन मोड में भुगतान करके अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। उत्तर कुंजी अपलोड करते समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर कुंजी के बारे में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। बाद में उत्तर कुंजियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

11.5 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) प्रमाणपत्र (01-01-2021 के अनुसार) धारकों को पेपर-1 और पेपर-II में बोनस अंक दिए जाएंगे, जिन्हें निम्नलिखित स्कीम के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी के सामान्यीकृत अंकों में जोड़ा जाएगा:

क्रम	एनसीसी प्रमाणपत्र	प्रत्येक पेपर में बोनस अंक

Sensitivity: Internal & Restricted

सं	का प्रकार	(पेपर-I और पेपर-II)
1	एनसीसी 'सी' प्रमाण पत्र	10 अंक (अधिकतम अंक का 5%)
2	एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र	6 अंक (अधिकतम अंक का 3%)
3	एनसीसी 'ए' प्रमाण पत्र	4 अंक (अधिकतम अंक का 2%)

11.6 नोटिस में दी गई परीक्षाओं की तारीखें अनंतिम हैं। परीक्षाओं की अनुसूची में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।

11.7 अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुन: जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया किया जाएगा।

11.8 **कंप्यूटर आधारित मोड परीक्षा के लिए सांकेतिक पाठ्यक्रम :**

1.8.1 **पेपर - I**

11.8.1.1 **सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति**: इसमें शब्दिक और गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न शामिल होंगें । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थनिक कल्पना, स्थनिक आभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रंखला, गैर शाब्दिक श्रंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायबद्ध आदि से संबंधित प्रश्न शमिल होंगे। इसमें विषय हैं : सेमेंटिक सादृश्यता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आकृति संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गिकरण, सीमेंटिक समानता, अंक समानता, आंकड़े संबंधी समानता, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन,

Sensitivity: Internal & Restricted

प्रतीकात्मक संचालन, उपनति, अन्तराल आभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलाइजेशन, वेन डाइग्राम, रेखचित्र अनुमिति, पंच्ड होल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, अंकीय पैटर्न फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केंद्र कोड/अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/अंक कोडिंग, डिकोडिंग और वर्गीकरण, अंतस्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामजिक बुद्धिमत्ता आदि।

11.8.1.2 **<u>सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता</u>**: इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती हैं। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यदि से संबंधित प्रश्न भी शमिल होंगे।

11.8.1.3 **<u>परिमाणात्मक अभिरूचि:</u>** इसमें प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा । इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन,दशमलव, खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या आधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज समकोणीय पिरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और

Sensitivity: Internal & Restricted

रेडियन माप, मानक पहचान, पूरक कोण, ऊँचाई और दूरियाँ, हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज, बार आरेख और पाई चार्ट।

11.8.1.4 **<u>अंग्रेजी परिज्ञान</u>:** इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जांचा जाएगा। ।

11.8.2 पेपर-II

11.8.2.1 **<u>अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान</u> :** इस घटक में अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा की समझ और जानकारी की जांच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे जो कि गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति (क्रिया, पूर्वसर्ग,आर्टिकल्स आदि का प्रयोग करके), शब्द कोश, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य पूर्णता, वाक्यांश और शब्दों का उक्ति रूप में और मुहावरेदार प्रयोग, बोधगम्यता आदि से संबंधित होंगे।

11.9 <u>शारीरिक मानक परीक्षण (शा.मा.प.) और शारीरिक क्षमता परीक्षण (शा.क्ष.प.)</u> :

11.9.1 <u>शारीरिक मानक परीक्षण (सभी पदों के लिए):</u>

क्रम सं.	अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊंचाई (सेमी में)	सीना (सेमी में)	
			बिना फुलाए	फुलाकर
(i)	क्रम सं. (ii) और (iii) में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को छोड़कर पुरुष अभ्यर्थी	170	80	85
(ii)	गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों, गोरखाओं, डोगरा, मराठों, कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर के लेह एवं लद्दाख क्षेत्रों , पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से संबंधित अभ्यर्थी।	165	80	85

Sensitivity: Internal & Restricted

(iii)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	162.5	77	82
(iv)	क्रम सं. (v) और (vi) में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को छोड़कर महिला अभ्यर्थी	157	--	--
(v)	गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों, गोरखाओं, डोगरा, मराठों, कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर के लेह एवं लद्दाख क्षेत्रों , पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से संबंधित महिला अभ्यर्थी।	155	--	--
(vi)	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी महिला अभ्यर्थी	154	--	--

11.9.2 **वजन :** ऊंचाई के अनुरूप (सभी पदों के लिए)।

11.9.3 **शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.) (सभी पदों के लिए) :**

5.9.3.1 **पुरुष अभ्यर्थियों के लिए:**

11.9.3.1.1 16 सेकंड में 100 मीटर की दौड़

11.9.3.1.2 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़

11.9.3.1.3 लंबी कूद : 3 बार में 3.65 मीटर

11.9.3.1.4 ऊंची कूद : 3 बार में 1.2 मीटर

11.9.3.1.5 शॉट पुट (16 पांउड): 3 बार में 4.5 मीटर

11.9.3.2 **महिला अभ्यर्थियों के लिए** :

Sensitivity: Internal & Restricted

11.9.3.2.1 18 सेकंड में 100 मीटर की दौड़

11.9.3.2.2 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़

11.9.3.2.3 लंबी कूद: 3 अवसरों में 2.7 मीटर

11.9.3.2.4 ऊंची कूद : 3 अवसरों में 0.9 मीटर ।

11.9.4 महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं होगी ।

11.9.5 यथा-उल्लिखित ऊंचाई और सीने की माप में छूट (जैसा भी मामला हो), केवल उस जिले के सक्षम प्राधिकारी, जंहा वे रहते हैं, का प्रमाणपत्र **<u>अनुलग्नक- VIII</u>** में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत करने पर ही अनुमेय होगा ।

11.9.6 दिल्ली पुलिस के लिए प्रारंभिक नियुक्ति के समय शारीरिक मानकों (ऊंचाई /सीना) में एक बार दी गए छूट तब तक वैध रहेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति विशेष दिल्ली पुलिस में रहता है।

11.9.7 जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात ऊंचाई और सीने की माप में योग्य घोषित नहीं किया गया है , यदि चाहें तो वे यदि शा.मा.प./शा.क्ष.प. स्थल पर उपस्थित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई और अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11.9.8 शा.मा.प./शा.क्ष.प. का कोई अंक नहीं लेगा, परन्तु यह लेकिन योग्यता/छंटनी प्रकृति का होगा।

11.9.9 इन पदों के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को शा.क्ष.प. से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। तथापि सभी भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और इन निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा। उन्हें सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को भी पास करना चाहिए।

Sensitivity: Internal & Restricted

11.10 **चिकित्सा मानक (सभी पदों के लिए):**

11.10.1 **चिकित्सा परीक्षा:** वे सभी अभ्यर्थी जो पेपर- ॥ में अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी चिकित्सा जांच के.स.पु.ब. के चिकित्सा अधिकारी या केंद्र / राज्य सरकार के अस्पताल या औषधालय के किसी अन्य ग्रेड-। चिकित्सा अधिकारी या सहायक सर्जन द्वारा की जाएगी। जो अभ्यर्थी अयोग्य पाए जाते हैं, उन्हें उनकी स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा और वे 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकते हैं। पुनर्चिकित्सा बोर्ड / समीक्षा चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और पुनर्चिकित्सा बोर्ड / समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के खिलाफ कोई अपील/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11.10.2 **नेत्र दृष्टि** : निकट दृष्टि न्यूनतम एन6 (बेहतर दृष्टि) और एन9 (खराब दृष्टि) होनी चाहिए। किसी भी सुधार, जैसे - दृश्य तीक्ष्णता में सुधार के लिए चश्मे का प्रयोग या किसी भी तरह की सर्जरी, के बिना दोनों आँखों की न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 (बेहतर दृष्टि) और 6/9 (खराब दृष्टि) होनी चाहिए । दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में दाईं आंख की बेहतर दृष्टि होती है और बांए हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के लिए बांई आंख बेहतर दृष्टि है।

11.10.3 अभ्यर्थी के भीतर की ओर मुड़े घुटने, सपाट पैर, वैरिकोज़ नस या भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी रंग विभेद दृष्टि उच्च कोटि की होनी चाहिए।

11.10.4 उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्य के प्रभावी निष्पादन में बाधा होने की संभावना हो।

11.11 अंत में, उप-निरीक्षक के पदों के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में, नीचे वर्णित सात बाधाओं को पास

Sensitivity: Internal & Restricted

करना होगा, जिसमें विफल रहने पर उन्हें बल में नहीं रखा जा सकता है :

11.11.1 उर्ध्वाधर बोर्ड के ऊपर से कूदना ।

11.11.2 बोर्ड से कूदते हुए रस्सी पकड़ना ।

11.11.3 टार्ज़न स्विंग ।

11.11.4 क्षैतिज बोर्ड पर कूदना ।

11.11.5 समानांतर रस्सी ।

11.11.6 बंदर की तरह सरकना (मंकी क्रॉल)

11.11.7 उर्ध्वाधर रस्सी ।

11.12 टैटू: टैटू की अनुमति केवल निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दी जाएगी:

11.12.1 **सामग्री:** धार्मिक प्रतीक या चित्र और नाम का चित्रण करने वाले टैटू, जैसा कि भारतीय सेना में अनुपालन किया जाता है, अनुमत्य है ।

11.12.2 **स्थान:** शरीर के पारंपरिक अंगों पर बने टैटू अनुमत्य हैं, जैसे- जैसे बाजू के अग्र भाग पर भीतरी ओर, परन्तु केवल बांयी बाजू पर, क्योंकि इससे सैल्यूट नहीं दिया जाता और यह हाथ का पृष्ठ भाग है।

11.12.3 **आकार:** शरीर के उस विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के ¼ भाग से कम होना चाहिए।

12. परीक्षा में प्रवेश

12.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधरित परीक्षा (पेपर-।) में बैठने हेतु रोल नंबर और प्रवेशदिया जाएगा (एसी) पत्र-, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवसथित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञपति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

Sensitivity: Internal & Restricted

12.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद के लिए पात्र हैं। दस्तावेज (पदों) सत्यापन के समय समर्थनकरी दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी। जांच के दौरान यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12 3. /पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय-परीक्षा संबंधी प्रवेशउपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

12.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्योरे की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

12.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

12.6 परीक्षा से लगभग पत्र डाउनलोड करने की सुविधा -दिन पहले प्रवेश 7-3 उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेब/संबंधित क्षेत्रीयसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

Sensitivity: Internal & Restricted

12.7 प्रवेश प्रमाणपत्र के अलावा-, कम से कम पासपोर्ट आकार की हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटोआईडी साक्ष्यजिसमें वह जन्म - पत्र में दी गई-तिथि अंकित हो जोकि प्रवेशहै, लाना अनिवार्य है, जैसे:

12.7.1 आधार कार्डआधार का प्रिंटआउट-ई/,

12.7.2 मतदाता पहचानपत्र-,

12.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,

12.7.4 पैन कार्ड,

12.7.5 पासपोर्ट,

12.7.6 विश्वविद्यालय पत्र-स्कूल द्वारा जारी पहचान/कॉलेज/

12.7.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचानसार्वजनिक /सरकारी) पत्र-(/उपक्रम

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति 12.7.8 पंजिका

-राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण/केंद्रीय 12.7.9 पत्र

12.8 **यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल - राज्य बोर्ड द्वारा जारी /आईसीएसई/सीबीएसई -जैसे) दस्तावेज मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंकपत्र-; जन्म प्रमाणपत्र-, श्रेणी प्रमाण (पत्र-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और -लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्रप्रमाण पत्र मेल / नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

.129 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिएप्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।

12.10 धुंधली तस्वीर औरया हस्ताक्/षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

13. दस्तावेज सत्यापन (डीवी)

Sensitivity: Internal & Restricted

13.1 दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा सं .13.5 में किए गए उल्लेखानुसार मूल दस्तावेजों और उनकी छाया प्रतियों के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा ।

13.2 दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को वरीयता के क्रम में उन पदों/बलों का उल्लेख करना चाहिए जिनका उन्होंने विकल्प दिया है। पदों का ब्योरा निम्नानुसार है:

13.2.1 दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (ए)

13.2.2 सीमा सुरक्षा बल में उप-निरीक्षक (बी)

13.2.3 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप-निरीक्षक (सी)

13.2.4 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप-निरीक्षक (डी)

13.2.5 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में उप-निरीक्षक (ई)

13.2.6 सशस्त्र सीमा बल में उप-निरीक्षक (एफ)

13.3 अभ्यर्थियों द्वारा एक बार चुने गए विकल्प / वरीयता को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा पद/बल में परिवर्तन करने के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने पद/बल के लिए विकल्प नहीं चुना है, तो उसके नाम पर उसकी योग्यता स्थिति के बावजूद इस तरह के पद के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अपनी पद वरीयताएं देते समय बहुत उचित तत्परता और सावधानी बरतनी चाहिए।

13.4 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय दो पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटो और एक **मूल वैध फोटो पहचान** पत्र लाना होगा । फोटो पहचानपत्र निम्नलिखित हो सकता है:

13.4.1 आधार कार्ड -ई / आधार का प्रिंटआउट ।

13.4.2 वोटर आईडी कार्ड

13.4.3 पैन कार्ड

13.4.4 पासपोर्ट

13.4.5 ड्राइविंग लाइसेंस

Sensitivity: Internal & Restricted

13.4.6 सरकारी स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड /

13.4.7 नियोक्ता आईडी (सार्वजनिक उपक्रम / सरकारी)

13.4.8 केंद्र/राज्य सरकार द्वरा जारी किया गया कोई अन्य फोटोयुक्त पहचानपत्र

13.5 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी जैसे:

13.5.1 मैट्रिक माध्यमिक प्रमाण पत्र /

13.5.2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र

13.5.3 यदि अभ्यर्थी किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता होने का दावा करता है, तो अनिवार्य अर्हता में समकक्ष खंड के संबंध में प्राधिकारी का उल्लेख करते हुए दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबध में आदेश/पत्र (संख्या और तारीख के साथ) जिसके तहत इसे ऐसा माना गया है ।

13.5.4 जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है

.1355. उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए वरीयता दी है, **मोटर साइकिल और कार का** ड्राइविंग लाइसेंस (शा.क्ष.प./शा.मा.प. की तारीख से पहले जारी) (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लागू)।

13.5.6 **भूतपूर्व सैनिकों के लिए (भूपूसै:(**

.135.6.1 **अनुलग्रक -IV के** अनुसार वचनबंध**।**

.135.6.2 यदि लागू हो, तो **अनुलग्रक-III के** अनुसार रक्षा कार्मिक सेवारत होने का प्रमाण पत्र ।

.135.6.3 सेवा निवृत्ति का प्रमाणपत्र, अगर सशस्त्र बलों से छुट्टी दी जाती है ।

.135.6.4 पैरा 3.3.1 पर सूचीबद्ध भूतपूर्व सैनिकों की विशिष्ट श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी इसकी पुष्टि में प्रमाणपत्र/दस्तावेजी साक्ष्य अवश्य प्रस्तु करें।

Sensitivity: Internal & Restricted

.135.7 प्रासंगिक प्रमाण पत्र यदि आयु में किसी छूट की मांग करता है।

.135.8 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा **<u>अनुलग्नक-IX </u>के** अनुसार प्रमाण पत्र ।

.135.9 यदि पहले से ही सरकारी उपक्रमों में नियोजित हैं, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

.135.10 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

.135.10.1 महिलाओं के विवाह के मामले मेंपति : के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाहप्रमाणपत्र-कीसत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

.135.10.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में :यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेखमृत्यु प्रमाण / पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की-सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

.135.10.3 महिलाओं के तलाक के मामले मेंतलाक की : डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेखशपथपत्र/;

.135.10.4 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में :शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेखशपथपत्र/ और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग एक दैनिक समाचार)पत्र आवेदक के स्थायी

Sensitivity: Internal & Restricted

और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए (
और राजपत्र अधिसूचना।

13.5.11 दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रवेशपत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज

14. <u>चयन का तरीका :</u>

141. उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (प्रश्नपत्रमें बैठने (I-पत्र दिया जाएगा-हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवसथित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञपति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं।

142. परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश-उप/पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट परऑनलाइन जारी किया जाएगा। अत: अभ्यर्थियों को नियमित रुप से आयोग मुख्यालय की वेबसाइट अर्थात) www.ssc.nic.in) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीयउप क्षेत्रीय कार्यालयों / जिनकेअधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं , की वेबसाइटें देखने की सलाह दी जाती है 1-विवरण पैरा)0 1. पर।(

14.3.पेपर-। और पेपर-॥ में न्यूनतम अर्हक अंक (एनसीसी प्रमाणपत्र धारक -(को बोनस अंक जोड़े बिना निम्नानुसार हैं-:

.14.3.1 .अना : 30 %

.14.3.2 ईडब्लूएस/व.पि.अ : 25 %

.14.3.3 अन्य सभी वर्ग : 20%

.14.4अभ्यर्थी पेपर-। पत्र धारकों के मामले में बोनस अंकों को -एनसीसी प्रमाण) (जोड़करमें अपने प्रदर्शन के आधार शा.क्ष.प.शा/.मा.प. परीक्षा में भाग लेने के लिए शार्टलिस्ट किए जाएंगे। आयोग को अन्य के साथसाथ श्रेणीवार -रिक्तियों और अभ्यर्थियों की श्रेणीवार संख्या का ध्यान रखते हुए प्रश्नपत्र। के -

Sensitivity: Internal & Restricted

प्रत्येक भाग में विभिन्न न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का अधिकार होगा।

.14.5शा.प.मा.शा/.प.क्ष. अनिवार्य लेकिन अर्हक प्रकार के हैं। भूतपूर्व सैनिकों को शा देने की जरूरत नहीं हैं। .प.क्ष.

.14.6केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र।। में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी-, जिन्होंने शा.क्ष.प.शा/.मा.प. परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है ।

.14.7 अभ्यर्थियोंको पेपर-I और पेपर-II (एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों के-मामलों में बोनस अंकों को जोड़कर में (उनके प्रदर्शन के आधार पर चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा। जो अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें विस्तृत दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा ।

.14.8शार्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आना होगा । जो ऐसा करने में असफल रहते हैं, उनके नाम पर अंतिम चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेज मूलरूप में प्रस्तुत करने होंगे ।

.14.9 **<u>पदों की वरीयता :</u>**दस्तावेज़ सत्यापन के समय, अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में उस पद/बल का नाम दर्शाना अपेक्षित है जिससे कि वरीयता क्रम में उसके नाम पर विचार किया जा सके। विभिन्न पदों का ब्योरा निम्नानुसार हैं:

.14.9.1 दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक(ए)

.14.9.2 सीमा सुरक्षा बल में उप निरीक्षक(बी)

.14.9.3केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप निरीक्षक(सी)

.14.9.4 (डी) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक

.14.9.5 भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में उप निरीक्षक(ई)

.14.9.6सशस्त्र सीमा बल में उप(एफ) निरीक्षक-

Sensitivity: Internal & Restricted

.14.10 अभ्यर्थियों द्वारा एक बारदिया गए विकल्प वरीयता/को**अंतिम** और **अपरिवर्तनीय**माना जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा पद/बल में परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा ।

.14.11 अभ्यर्थियों को केवल उन पदों पर चयन के विचार किया जाएगा जिनका विकल्प उनके द्वारा वरीयता में दिया गया हैं। यदि अभ्यर्थी ने बल क /किसी पदे लिए विकल्प नहीं दिया हैं तो मेरिट में स्थिति चाहे जो भी हो उनके नाम पर उस पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता देने के पूर्व यथेष्ट तत्परता बरतनी चाहिए।

.14.12 अभ्यर्थियों द्वारा पेपर-I और पेपर-II (एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों के- मामलें में बोनस अंकों को जोड़कर (में प्राप्त किए गए समग्र अंकों के आधार पर अंतिम चयन और पदों बल का आबंटन /किया जाएगा। अभ्यर्थियों का विभिन्न प्रयोक्ता विभागोंबलों के लिए आबंटन उनकी मैरिट स्थिति और / दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई पद वरीयता के आधार पर किया जाएगा ।

.14.13अभ्यर्थी को उनके मेरिट के अनुसार एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों/बल की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है ।

.14.14विभागीय अभ्यर्थियों के लिए, दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, और सहायक उप निरीक्षक में- से, दिल्ली पुलिस में उपनिरीक्षक - नियुक्ति) की सीधी भर्ती दिल्ली पुलिसएवं भर्ती (, नियम) 1980 वर्ष, 2013 और के (में संशोधित 2018नियम 7-और -27क तथा स्थायी आदेश संख्या के अनुसार 2013/321 दिल्ली पुलिस " की जाएगी। केवल उन अभ्यर्थियों को का विभागीय अभ्यर्थी माना जाएगा जो अपने " ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में इस स्थिति को दर्शाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा होने के पश्चात,

Sensitivity: Internal & Restricted

विभागीय अभ्यर्थियों के स्‌थिति परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

.14.15दिल्ली पुलिस द्वारा,दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों को मान्य आयु छुट प्रदान करके पहले उप (कार्यकारी) निरीक्षक, दिल्ली पुलिस के रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा और उसके पश्चात विभागीय रिक्तियों के लिए।

.14.16दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक परीक्षा, क 2020ी सामान्य कंप्यूटर आधारित परीक्षा -पेपर)। एवं पेपर-II), शा.प.मा.शा/.प.क्ष., चिकित्सा परीक्षा में शामिल होंगे। यद्यपि विभागीय रिक्तियों के अंतिम परिणाम की प्रक्रिया,आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा के बादकंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर, दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी।

.14.17**अजा, अजजा, अपिव, ईडब्लूएस और भूतपूर्व सैनिक** श्रेणी के अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र मेरिट स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार पद की अनारक्षित रिक्तियों में, जो उनके लिए लाभप्रद हो, में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से **अजा,अजजा, अपिव, ईडब्लूएस और भूतपूर्व सैनिक.** श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी ।

.14.18 अजा ., अजजा, अपिव, ईडब्लूएस और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे योग्यता सूची में उनका स्थान कुछ भी हो, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में । ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित

Sensitivity: Internal & Restricted

रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं माना जाएगा ।

.14.19सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

.14.20परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समययह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

.14.21इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, तो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इन पदों पर स्थायी किए जाने हेतु पुष्टि की जाएगी।

.14.22यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियरऑफ अंकों से -स्तर में कट/ अंतिम / अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले, जो भी

Sensitivity: Internal & Restricted

पहले हो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय उप क्षेत्रीय कार्यालय / में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए ।

.14.23 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए ।

.14.24सभी पद(दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक को छोडकर) अखिल भारतीय सेवा दायित्व वाले हैं अर्था (.दा.से.भा.अ)त् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

.15**बराबरी (टाई) के मामलों का निपटाराः**

उन मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी प्रश्नपत्र –I तथा प्रश्नपत्र-II में एक समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी का (टाई)निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगाः-

15.1.1. प्रश्नपत्र ।। में कुल अंकों को- देखकर ।

15.1.2. जन्मतिथि देखकर-, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है ।

15.1.3. अभ्यर्थियों के नामों के वर्णानुक्रम को देखकर ।

.16रोजगार केअवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.39020/1/2016-स्थाके तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम (ख) परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजितउक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर या नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस), श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा) :i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पितापति का नाम/, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग /अपिव/अजजा/अजा/सामान्य)भू(सै.पू., (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल

Sensitivity: Internal & Restricted

प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ईमेल-, तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करनेका विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने आयोगएनसीएस की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्/योरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

.17**<u>आयोग का निर्णय अंतिमः</u>**

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा का आयोजन (ओं), परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयन और पद/संगठन के आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछपत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।/

.18 <u>कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:</u>

.18.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी स्तर पर निम्नलिखित में किसी भी कदाचार के दोषी पाए जाते है तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगाः

क्रम संख्या	कदाचार का प्रकार	विवर्जन अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसेओएमआर शीट -, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीट आदि लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष

Sensitivity: Internal & Restricted

3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डरानाधमकाना।-	वर्ष 3
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचानाअन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न / देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना,जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन मोड में मोबाइल फोन रखना। 'स्विच ऑफ' या '	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।/	5 वर्ष
11	जाली प्रवेशपत्र-, पहचानपत्र से परीक्षा देना।-	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों हथियारों/ को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	वर्ष 7
14	आग्नेय शस्त्रोंहथियारों से प/रीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना- धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसेकागज या - शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतोंसे नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषनकिसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।/	7 वर्ष
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयरवैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा /लैन/एप/ टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोडतोड़ करने की - कोशिश करना।	7 वर्ष

Sensitivity: Internal & Restricted

.18.2 आयोग,उचित लगने पर मामले को पुलिसजांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर / सकता है, इसके अलावा, आयोग संबन्धित अधिकारियोंफोरेंसिक विशेषज्ञों /, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता हैं।

.19 <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>:इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद उस न्यायालयन्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह/ क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं-उप/संबंधित क्षेत्रीय, जहाँ से अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है ।

.20<u>अयोग्यता:</u>कोई व्यक्ति,जिसने ऐसे किसी व्यक्ति क (क) े साथ विवाह या विवाह का करार किया हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या जिसकी जीवन साथी जीवित हो (ख) उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का करार किया हो, सेवा के लिए पात्र नहीं होगा,बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसा विवाहमान्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हो तो, एसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

.21 <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश</u>

(क (	**अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें ।**
(ख)	**अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनतालॉगइन करने में असमर्थता या / विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।**
(ग (	**कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं। सहायक (पदों) दस्तावेजों की प्रतियाां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में किया गया**

Sensitivity: Internal & Restricted

	कोई दावा यदि सही सिद्ध नहीं होता है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(घ (	अजाएम.एस.ई/ईडब्लूएस/अपिव/अजजा/ के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ड(.	शारीरिक दिव्यांग जन अभ्यर्थी इस परीक्षा में आवेदन करने के (.दि.शा) पात्र नहीं हैं।
(च)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे "अनंतिम" रूप से स्वीकार किया जाएगा । अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन का प्रिंट आउट लेना चाहिए । सामान्यतया आयोग को "आवेदन फॉर्म" का प्रिंट आउट भेजने की जरूरतनहीं है ।
(छ)	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराए जाने की अनुमति दी गई है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय यथेष्ट तत्परता बरतें। यदि किसी अभ्यर्थीएक से अधिक आवेदन पाया जाता है, तो आयोग द्वारा उसके सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता है (किसी भी स्तर पर) तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसारविवर्जित कर दिया जाएगा।
(ज (	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्मतिथि,पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।
(झ (	अपाठ्य हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर/धुंधलें फोटोग्राफ/ पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(ञ)	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।/

Sensitivity: Internal & Restricted

(ट (	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ईमेल पता तथा - मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-के माध्यम से पत्राचार कर सकता है। .एस.एम.एस/मेल
(ठ)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो और अपना हाल ही का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसेआधार -आधार का प्रिंट आउट-ई/कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालयसरकारी कार्यालयद्वारा जारी पहचान पत्र/कॉलेज/, नियोक्ता पहचानपत्र-,रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक सेवामुक्ति -पत्र -राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो पहचान/पुस्तिका या केंद्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी **।यदि फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि मुद्रित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपने जन्मतिथि के साक्ष्य में अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र लाना चाहिए । जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में लाने वाले फोटो पहचान पत्रप्रमाणपत्र तथा प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित / जन्मतिथिके बेमेल होने के मामले में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।**
(ड (	किसी प्रतिष्ठित नामपंजीकरण/जाली आवेदन/फोटो के दुरूपयोग से नकली/ साइबर कैफे को/ करने के मामले में अभ्यर्थीउत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबरआईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त / विधिक कार्रवाई की जाएगी ।
(ढ (	सभी पद अखिल भारतीय (निरीक्षक को छोड़कर-दिल्ली पुलिस में उप) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी (.दा.से.भा.अ) सेवा दायित्व को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(ण)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियरऑफ अंकों से अधिक-स्तर में कट/ अंतिम चयन में /अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए।/
(त (	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित

Sensitivity: Internal & Restricted

	प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(थ)	देय शुल्कः -/100रु। महिला अभ्यर्थियों और (एक सौ रुपए मात्र) . अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।

अवर सचिव .एवं यो .नी)-II(

अनुलग्नक-I

-ऑनलाइन आवेदन)पत्र भरने की प्रक्रिया(

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I.एक बारगी पंजीकरण

II.परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण (

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
    - क. मोबाइल नंबर ।(ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
    - ख. ईमेल आईडी ।(ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
    - ग. आधार संख्या । यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा ।(
        - i.वोटर आईडी कार्ड
        - ii.पैन
        - iii.पासपोर्ट
        - iv.ड्राइविंग लाइसेंस
        - v.स्कूल/कॉलेज आई डी
        - vi.नियोक्ता आईडी /सरकारी)पीएसयू/प्राइवेट(

Sensitivity: Internal & Restricted

घ. मैट्रिक 10)वीं की परीक्षा पास करने के (बोर्ड, रोल नंबर और वर्षके बारे में जानकारी।

ङ. हाल का जेपीईजी प्रारूप में (अर्थात तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं) 20) स्कैन किए गए पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोकेबी से 50 । फोटो का छवि आयाम लगभग(केबी3.5 सेमी (चौड़ाई)X 4.5)ऊंचाईहोनी चाहिए। फोटो बिना टोपी पहने (, बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए । **फोटो पर फोटो लिए जाने की तिथि अंकित होनी चाहिए।** धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्तकर दिया जाएगा।

च. जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर 10)से । (केबी 20 (चौड़ाई) सेमी 4.0 हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभगX सेमी 3.0 होना चाहिए। (ऊंचाई)**अस्पष्ट हस्ताक्षरवाले आवेदन पत्रों को निरस्तकर दिया जाएगा।**

छ. दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या-, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए,http://ssc.nic.in पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

4.एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

क. प्रारंभिक विवरण

ख. अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण

ग. पासपोर्ट आकार का स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना ।

5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों अर्थात आधार संख्या), नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादिकी प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार (की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेलनहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या:1-आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।

ग. क्रम संख्या :2-अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा 10)वीं कक्षा(-के प्रमाणपत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम

Sensitivity: Internal & Restricted

में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम सं2 .ग और 2घ में करें।

घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा 10)वीं कक्षा-के प्रमाण (पत्र में दिया गया है।

ङ. क्रम संख्या 4-:अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा 10)वीं कक्षा-के प्रमाण (पत्र में दिया गया है।

च. क्रम संख्या5-:अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा 10)वीं कक्षा-के प्रमाण (पत्र में दी गई है।

छ. क्रम संख्या6-:मैट्रिक परीक्षा 10)वीं कक्षा-के प्रमाण (पत्र में निम्नलिखित शामिल है:

i.शिक्षा बोर्ड का नाम

ii.रोल नंबर

iii.उत्तीर्ण होने का वर्ष

ज. क्रम संख्या -7: लिंग

झ. क्रम संख्या -8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ञ. क्रम संख्या -9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रियमोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपीके माध्यम से सत्यापित (किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भीआपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ट. क्रमसंख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रियईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा,केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड पंजीकरण / संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।

ड. जब क्रम संख्या 1से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होनेपर, आपका आपका डाटा सहेजा जाएगा तथा आपका पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. आपको दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल 14 होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

Sensitivity: Internal & Restricted

ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करके एक-बारगीपंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

द. क्रमसंख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

ध. क्रमसंख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

न. क्रमसंख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

प . क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई विशिष्ट दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

फ. क्रम संख्या 15-से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

ब. क्रम संख्या 19 से : 20 उपरोक्त क्रम संख्या-2 में निर्दिष्टानुसार हाल ही की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। (तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं)

भ. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नम्बर और ईमेल -अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने -आई डी पर अलग क े लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।

य. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूं' पर क्लिक करें।

कक. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'प्रारंभिक विवरण' केवल दो बार बदला जा सकता है।**इसलिए एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें ।**

7. आपको पुन :सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके

Sensitivity: Internal & Restricted

मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

अनुलग्नक-Iक

एकबारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट

Sensitivity: Internal & Restricted

अनुलग्नक-II

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन(पत्र-

1. आयोग की वेबसाइट)https://ssc.nic.in) पर अपने ‘पंजीकरण संख्या’ और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
2. ‘लेटेस्ट नोटिफिकेशन’टैब के अंतर्गत “सबइंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल - आर्मड पुलिसफोर्सेस एग्जामिनेशन 2020”सेक्शन में 'अप्लाई' लिंक पर क्लिक करें ।
3. क्रम सं1-.से 13पर कॉलम में जानकारी स्वः ही आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से लेकर भर ली जाएगी जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है।
4. क्रम संख्या1-4:राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति से संबंधित विवरण भरें। यदि आप उस जाति से संबंधित है जो अन्य पिछड़ा वर्ग के केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं है लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है तो ‘Yes’ चयन करें।

Sensitivity: Internal & Restricted

5. क्रम संख्या-15: यदि आप दिल्ली पुलिस में सिपाही, प्रधान-सिपाही या सहायक उप-निरीक्षक पद के विभागीय अभ्यर्थी है तो‘Yes’ चयन करें।
6. क्रम संख्यापत्र धारक हो -तक एनसीसी प्रमाण 01.01.2021 यदि आप :16.1-जाएंगे तोYes चयन करें और´क्रम संख्या पत्र का -पर एनसीसी प्रमाण 16.2 विवरण भरें।
7. क्रम संख्यापरीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर :17-परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
8. क्रम संख्या यदि आप :18-भूतपूर्व सैनिक हैतो आवश्यक जानकारी भरें । , भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है /सैनिकों ।
9. क्रम संख्यानिरीक्षक पद के लिए भूतपूर्व -यदि आप दिल्ली पुलिस में उप :19-सैनिकों के विशेष कोटा के लिए पात्र है तो‘Yes’ चयन करें। कृपया परीक्षाविज्ञप्ति -देखें। 3.3 का पैरा
10. क्रम संख्या20 -: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।
11. क्रम संख्या21 -: कृपया अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।
12. क्रम संख्या22 -:शैक्षणिक योग्यता पात्रता का विवरण दें।
13. क्रम संख्या“ यदि आप शैक्षणिक योग्यता पात्रता उत्तीर्ण कर चुके है तो :23-Yes चयन करें और इसकी अधिक जानकारी दें।
14. क्रम संख्या 16-विज्ञपति का पैरा संख्या-कृपया परीक्षा :24-देखें और तदनुसार भरें।
15. क्रम संख्या 26 ,25 -तथा 27: वर्तमान और स्थायी पता से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वत :भर जाएगी।
16. फोटो और हस्ताक्षर से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वत :भर जाएगी।
17. “मैं सहमत हूं” चेक बॉक्स से यदि आप सहमत हैं तो इस पर क्लिक करके अपनी घोषणा को पूरा करें।

18. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन ‘सबमिट’ करें।

19. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें। कैप्चा कोड को भरें।

20. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में नकद जमा किया जा सकता है।शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञपति के पैरा 9 -का संदर्भ लें।
21. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-

Sensitivity: Internal & Restricted

आउट लेना चाहिए। सामान्यतया किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक- IIक

एकबारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट

Sensitivity: Internal & Restricted

अनुलग्नक - III

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) ______________ (रैंक)_______________ (नाम)_________________________ (दिनांक)______________ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय की मुहर

स्थानः

दिनांकः

Sensitivity: Internal & Restricted

अनुलग्नक –IV

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं ……………………………………………………, अनुक्रमांक ………………………….

20 ,परीक्षा...के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम (क), ,1979में भूतपूर्व सैनिकों के पुनरोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार : हूँ।

ख)) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व:सैनिकों को पुन- रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

ग)) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ……………………को …… . ………………
पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं .... कार्यालय में ....
एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान वचन पत / घोषणा-नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

घ)) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ……………………को …… . ………………
पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । .... कार्यालय में ....
इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

Sensitivity: Internal & Restricted

मैं एततद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता समाप्त समझा जाएगा । /नियुक्ति निरस्त /

हस्ताक्षर :…………………
नाम :……………
अनुक्रमांक................... :
दिनांक :……………
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि :……………
कार्यमुक्ति की तिथि :……………
अंतिम इकाई :कोर /……………
मोबाइल नंबर :……………
ईमेल आईडी.....................:

अनुलग्नक -V

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*______________ पुत्र/पुत्री____________________ निवासी ग्राम/कस्बा* _____________ जिला/संभाग* ____________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* __________ के ________________ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____________
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____________

Sensitivity: Internal & Restricted

@संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* ____________
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* ____________

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम,1986 , अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1986और गोवा , दमनऔर दीव अधिनियम (पुनर्गठन), 1987द्वारा यथा संशोधित ।

@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 ________
@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान
(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 ________
@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
@संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968
@संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968
@संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

Sensitivity: Internal & Restricted

%2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ________ के पिता/माता श्री/श्रीमती ________ निवासी ________

ग्राम/कस्बा* ________ जिला/संभाग* ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ________ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ________ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो ________ दिनांक ________ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी ________ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*________जिला/संभाग* ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ________ में रहता है ।

हस्ताक्षर...

**पदनाम.......................................

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य क्षेत्र-संघ राज्य /

स्थान ________

दिनांक.....................

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

<u>टिप्पणी</u>:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/+सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
) +प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट पद से नीचे के नहीं(

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

)v) एडमिनिस्ट्रेटर ।(लक्षद्वीप) विकास प्राधिकारी /एडमिनिस्ट्रेटर के सचिव /

Sensitivity: Internal & Restricted

अनुलग्नक <u>-VI</u>

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ________ सुपुत्र/सुपुत्री ________

ग्राम/कस्बा ________ जिला/संभाग ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ________ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजकि न्याय एवं अधकिारति मंत्रालय के संकल्प सं --------------- दिनांक ------* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कु० --------------- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः--------------- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के --------------- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993,कार्यालय ज्ञापन सं 36033/3/2004-स्था (रेस), दिनांक09.03.2004,कार्यालय ज्ञापन सं 36033/3/2004-स्था (रेस), दिनांक 14.10.2008 और कार्यालय ज्ञापन सं 36033/1/2013-स्था (रेस), दिनांक27.05.2013**की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

Sensitivity: Internal & Restricted

हस्ताक्षर ....

दिनांक: पदनाम

...................................$

मुहरः

___

*-प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्योरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

**-समय समय पर यथा संशोधित

$- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र जारी करनेके लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची - पत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त वाले -अनुसूचित जनजाति प्रमाण /अनुसूचित जाति के समान होगी।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

अनुलग्नक - VII

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछ्डे वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपतति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या ______________ दिनांक ____________________

वर्ष .... लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी ________________स्थायी निवासी ______________________गाँव/गली _______________ डाकघर ______________________ जिला ______________________ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ______________________ पिन

Sensitivity: Internal & Restricted

कोड ___________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी __________________________ का संबंध _______________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर..................................

नाम ....

पद...................................

आवेदक के हाल ही के पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो

* नोट 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

** नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

Sensitivity: Internal & Restricted

अनुलग्नक - VIII

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभयर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ---
--पुत्र श्री---------
--ग्राम---------------------
-----जिला--------------------------------------तालुका/तहसील-------------------------------
राज्य के स्थायी निवासी हैं ।--------------------------------------

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

* उपर्युक्त समस्त क्षेत्र के निवासी भारत संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई की माप में छूट के लिए गढ़वाली)-----------------------------------, कुमायूंनी, डोगरा, मराठा, सिक्किमीमाने जाते हैं । (

* वह हिमाचल प्रदेशपूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित हैं जिस पर /कश्मीर घाटी/लेह एवं लद्दाख/ भारत संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई की माप में छूट के लिए विचार किया जाता है ।

* वह अनुसूचित जनजाति के हैं ।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेटतहसीलदार/मंडलीय मजिस्ट्रेट-उप/

दिनांक:

Sensitivity: Internal & Restricted

स्थान:

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुलग्नक- IX

दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जाए(

प्रमाणित किया जाता है कि सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के अनुसार, संख्या---- --------------------------- नाम --------------------------------------- रैंक----------------------- के रैंक --जिन्हें---------------------------------- -- में-- पर नियुक्त किया गया था----------------------------------को---, वे ------------------------------- में लगातार सेवा कर-------------- रहे हैं और तीन साल की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने --- को अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली हैं । वे इस समय इस ----- में तैनात हैं । सेवा के दौरान (यूनिट का नाम)--- यूनिट --------------------------- जैसी बड़ी सजा और-- उन्हें जैसी हल्की सजा दी गई है ।---------

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम ----------------

Sensitivity: Internal & Restricted

कार्यालय की मुहर

<u>अनुलग्नक -X</u>

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
बी.ए	05
बी.ए(आनर्स)	06
बी.कॉम	07
बी.कॉम(आनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी	12
बी.ई	13
बी.टेक.	14
एएमआईई (भाग-ए तथा भाग- बी)	15
बी.एससी. (इंजी.)	16
बी.सी.ए.	17
बी.बी.ए.	18
रक्षा(भारतीय सेना, वायु सेना, जल सेना) द्वारा जारी स्नातक प्रमाणपत्र	19

Sensitivity: Internal & Restricted

पुस्तकालय स्नातक	20
बीफार्मा.	21
आईए.ड्ब्लू.सी.	22
सीए.	23
पीजी डिप्लोमा	24
एमए.	25
एमकॉम.	26
एम.एससी.	27
एमएड.	28
एलएलएम	29
एमई.	30
एम.टेक.	31
एम(.इंजी) .एससी.	32
एम.ए.सी.	33
एम.बी.ए.	34
अन्य	35

Sensitivity: Internal & Restricted